<u>दांडिक प्रकरण क्रमांकः 591/2022, अभियोजन साक्षीः लोमश ठाकुर (अ.सा. 04)</u>
<u>दिनांकः 10.10.2023</u>

<u>साक्ष्य प्रारंभ – 03:35 बजे</u>
<u>मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ.</u>

01. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानता एवं पहचानता हूं। आरोपी ग्राम पथर्री का रहने वाला है इसलिए मैं जानता हूं। घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। घटना होते हुए मैंने नहीं देखा है। पुलिस वाले मेरा बयान नहीं लिये थे।

:: <u>इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी द्वारा भा0 साक्ष्य अधि. की धारा–154 के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी, विचारोपंरात अनुमति दी गयी</u> ::

02. यह कहना गलत है कि हमलोग हनुमान मंदिर पथर्रीकला के पास पहुंचे थे कि गंण्डई की ओर से वाहन मोटर सायकल टी.व्ही.एस. स्टार क्रमांक सी.जी.07/एल.जी./7147 का चालक अपनी मोटर सायकल को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाकर पीछे से ठोकर मारकर मुझे एवं मेरे दोस्त सुमन यादव को एक्सीडेंट कर दिया जिससे मुझे सिर में चोट आया है एवं मेरे दोस्त कामदेव ठाकुर के सिर, कोहनी, एवं दोनों पैर के घुटने में चोट आया है। यह कहना गलत है कि आज मैं आरोपी/गणों से मिल गया हूं इसलिए उसे बचाने के लिये सही बात नहीं बता रहा हूं।

<u>::– प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मनोज राजपूत अधिवक्ता वास्ते आरोपी/गण</u> :: –

03. कुछ नही।

गवाह को पढ़कर सुनाये जाने पर सही होना स्वीकार किया।

मेरे निदेशन पर टंकित

(श्रीमती अंकिता मुदलियार) **न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी** **साजा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)**	साक्षी हस्ताक्षर	**(श्रीमती अंकिता मुदलियार)** **न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी** **साजा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)**

साक्ष्य समाप्त :– 03:40 बजे